

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 881/2015/भीलवाडा

मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राइजेज,
गांधी नगर, भीलवाडा।

बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित।

श्री आर.के.अजमेरा,

उपराजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 161/वैट/13-14 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) तहत आईटीसी क्लेम राशि रूपये 2,73,613/- को यथावत् रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधि 2011-12 के बिक्री विवरण पत्र सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये, परन्तु नियमित वैट-07 तिमाही विवरणी के समय एवं निर्धारित प्रपत्र में आई.टी.सी क्लेम नहीं किया। इस पर सशक्त अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.01.2014 पारित करते हुए कुल राशि रूपये 2,73,613/- का आई.टी.सी. अस्वीकार कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. राशि रूपये 2,73,613/- को जरिये अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने उक्त अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
4. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि आई.टी.सी क्लेम करने के लिए नियमित वैट-07 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आई.टी.सी क्लेम नहीं किया गया। आगे उन्होने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी व सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का

लगातार.....2


समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आईटीसी क्लेम नियमित वैट-07 तिमाही विवरणी के समय एवं निर्धारित प्रपत्र में करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा वार्षिक रिटर्न के साथ वैट खरीद के वैट-07 तिमाही अनुसार प्रस्तुत किये गये थे। हस्तगत प्रकरण में सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी का आई.टी.सी इसलिए अस्वीकार किया है कि उसने तिमाही रिटर्न के साथ में वैट-07 प्रस्तुत नहीं किये और इसी आधार पर अपीलार्थी अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी की अपील अस्वीकार की है, पत्रावली पर कोई तिमाही आधार पर प्रस्तुत रिटर्न नहीं है, बल्कि सभी रिटर्नस् वर्ष 2011-12 समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 25.04.2012 को प्रस्तुत किये गये। इस संबंध में राजस्थान कर बोर्ड ने **CTO, AE, Jone-II, Jaipur v/s Godrej & Boyce Mfg. co. Ltd., Jaipur [2012] 33 TUD 159 (RTB)** में यह अवधारित किया है कि धारा 18(2) के तहत इनवॉयस तिथि के तीन माह के भीतर आई.टी.सी. क्लेम के संबंध में स्पष्टता नहीं है, परन्तु नियम 18(6) में स्पष्ट लिखा है कि आई.टी.सी. व्यवसायी के बहियात के सत्यापन के आधार पर देय होगी, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि व्यवसायी इनवॉयस का जमा-खर्च इनवॉयस तिथि के तीन माह के भीतर अपने बहियात में करता है तथा उसका दावा ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करता है तो आई.टी.सी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

7. उपरोक्त निर्णय के आलोक में प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह व्यवसायी के खरीद बिलों की सत्यता की पूर्ण जांच के पश्चात् जिस माल पर आई.टी.सी. देय है उसको नियमानुसार स्वीकार कर आई.टी.सी. का लाभ दिया जावे।

8. इन्हीं निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


मदनलाल मालवीय
(सदस्य)